IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त
नीलगिरी काम्प्लेक्स, प्रथम तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

E-mail : lucknowcircle@upavp.com, sejdlucknow@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्र सं0– 1289 / W-13 / 35 दिनांक– 05.8.2025

ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में सुसंगत श्रेणी में पंजीकृत विभिन्न श्रेणी के अनुभवी ठेकेदारों/फर्मो से अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की ई–निविदाएं टू–बिड पद्वति से दिनांक 27.08.2025 को अपराह्न 03:00 बजे तक बेवसाइट *http://etender.up.nic.in* पर आमंत्रित की जाती है, जिसकी तकनीकी बिड्स दिनांक 27.08.2025 अपरान्ह 03:30 बजे सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। कार्य की मात्राएं बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	पंजीकृत श्रेणी	सम्बन्धित खण्ड का नाम	बैंक खाता का विवरण
1	जनपद–रायबरेली क्षेत्र के इन्दिरा नगर योजना, रायबरेली में बिटुमिनस रोड के सुदृढीकरण का कार्य, इण्टरलॉकिंग टाइल्स का कार्य, नालियों की मरम्मत तथा सेक्टोरियल पार्क की मरम्मत/पुताई एवं श्री राना बेनी माधव सिंह की मूर्ति पर छतरी का कार्य।	141.17	2.83	04 माह	4500.00+ 18% GST	श्रेणी–II	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ–11, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कॉम्पलेक्स, सेक्टर–9, वृन्दावन योजना, लखनऊ	Punjab National Bank, Indira Nagar Lucknow A/c No.- 1853001100000034, IFSC Code- PUNB0185300
2	प्रहलादपुरी योजना, हरदोई में मकान सं0–सी–658 वाया श्रीराम जानकी मंदिर तक, मकान सं0–डी–01 से डी–15 तक, मकान सं0–डी–16 से मकान संख्या–डी–22 तक, मकान संख्या–सी–523 से मकान सं0–सी–316 वाया सी–372 तक, मकान सं0–ए–272 से मकान सं0–बी–12 तक, मकान सं0–सी–497 से मकान सं0–सी– 522 वाया सी–381 तक बिटुमिनस सड़क के सुदृढीकरण इंटरलॉकिंग टाइल्स और नालियों की मरम्मत तथा मार्ग की प्रकाश व्यंवस्था के कार्य	222.31	4.45	04 माह	4500.00+ 18% GST	श्रेणी–I	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ–12, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरि कॉम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ	Indian Bank, Indira Nagar Lucknow A/c No.- 7285696103 IFSC Code- IDIB000I522 (8th Letter is I not 1)
3	जनपद–हरदोई में निम्नलिखित 02 निर्माण कार्य– अ. जनपद–हरदोई शहर में श्री राजपाल सिंह गौर के मकान से तालाब तक एवं श्री संतोष सिंह के मकान से विश्वकर्मा मंदिर तक, राजकीय बालिका विद्यालय से बी–97 वाया बी–61/62 तक सड़क पर इंटरलॉकिंग टाइल्स, ओपन पार्क के सुदृढीकरण एवं नाली की मरम्मत कार्य। ब. प्रहलादपुरी योजना, हरदोई स्थित बी.एस.एन.एल. कार्यालय से स्टेशन रोड तक बिटुमिनस सडक के सुदृढीकरण, इंटरलॉकिंग टाइल्स, नालियों की मरम्मएत एवं मार्ग की प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	206.65	4.14	04 माह	4500.00+ 18% GST	श्रेणी–I		

शर्तें:–

1. निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि NEFT/RTGS/Net Banking के माध्यम से निविदा में उल्लिखित बैंक खाते में ही जमा करायी जानी है। ई – निविदा निर्धारित तिथि व समय तक डाली/अपलोड की जानी होगी।
2. महत्वपूर्ण तिथियां

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	समय
1	निविदा प्रकाशन तिथि।	06.08.2025	—
2	निविदा डाउनलोड/अपलोड/निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि का भुगतान NEFT/RTGS/Net Banking के माध्यम से करने की प्रारम्भ तिथि	07.08.2025	अपराह्न 05:00 बजे से
3	निविदा डाउनलोड/अपलोड/निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि का भुगतान NEFT/RTGS/Net Banking के माध्यम से करने की अन्तिम तिथि	26.08.2025	अपराह्न 05:00 बजे तक
4	निविदा डाउनलोड/अपलोड करने की अन्तिम तिथि	27.08.2025	अपराह्न 03:00 बजे तक
5	तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि।	27.08.2025	अपराह्न 03:30 बजे
6	वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि।	पृथक से सूचित की जायेगी	

3. निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
4. निविदा की वैधता, निविदा की तकनीकी बिड खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप पर रू0 100/– के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू0 1/– के रेवेन्यू स्टाम्प सहित हस्ताक्षरित हो, की स्कैन कापी निविदा के साथ ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना होगा ।
5. निविदादाता फर्म को आयकर विभाग/जी०एस०टी० में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी ।
6. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
7. बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी०एस०टी० को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं, जी०एस०टी० नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी। सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस व अन्य कर, जो उ0 प्र0 सरकार/भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। जी०एस०टी० का भुगतान तत्समय प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार फर्म द्वारा जी०एस०टी० Invoice प्रस्तुत करने के उपरान्त, नियमानुसार किया जायेगा।
8. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपरिहार्य परिस्थिति में, बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।
9. समस्त कार्य, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/उ०प्र० लोक निर्माण विभाग/उ० प्र० जल निगम/MORTH/IRC/यू. पी.पी.सी.एल. (विद्युत कार्यों हेतु) की निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार, कराये जायेंगे।
10. निविदा की बी०ओ०क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में किसी भी सीमा तक परिवर्तन (बढ़ोत्तरी अथवा घटोत्तरी) हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. निविदा प्रपत्र, परिषद की वेबसाईट www.upavp.in एवं उ0प्र0 इलैक्ट्रोनिक एवं उ०प्र० इलैक्ट्रोनिक कॉरपोरेशन की वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाईट्स को देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बंध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।
12. शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2/आडिट/08 टी०सी० दिनांक 08.06.2012 के क्रम में निविदादाता द्वारा बिल ऑफ क्वान्टिटी के विरूद्ध डाले गये 10 प्रतिशत below तक 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक below पर 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत अतिरिक्त सिक्योरिटी/परर्फोमेन्स गारन्टी, एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी० जो कार्य से सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के नाम बन्धक एवं अनुबन्ध अवधि तक वैध हो, के रूप में निविदा की वित्तीय बिड खुलने की तिथि से अधिकतम 07 दिनों के अन्दर सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी। उपरोक्त धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही निविदा स्वीकृति हेतु अग्रसारित की जायेगी। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
13. कार्य हेतु निविदा डालने से पूर्व, ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का किसी भी कार्य दिवस में निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्व अध्ययन अवश्य कर लें। ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा में प्रतिभाग किये जाने की स्थिति में यह माना जायेगा कि ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थल का निरीक्षण/परीक्षण कर लिया गया है तथा इस सम्बन्ध में भविष्य में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
14. निविदादाता की निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियाँ, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
15. निविदा के कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्सम्बन्धी कार्यो हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
16. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियम नियमावली वर्ष–2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
17. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
18. कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सैम्पल्स की विभाग द्वारा किसी वाह्य जांच एजेन्सी से चेकिंग/टेस्टिंग कराने पर होने वाले व्यय की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयकों से की जायेगी ।
19. ई–टैन्डरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह–श्रेणी या उससे उच्च श्रेणी के निविदादाता ही पात्र होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति निविदा प्रपत्रों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।
20. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियमानुसार अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
21. यदि ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है, तो निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर व स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ देय होगी।

22. निविदादाताओं/फर्म के निविदा स्वीकृति की दशा में, नियमानुसार जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में, जो कि सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक हो, निविदा स्वीकृति पत्र के निर्गमन की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर जी0पी0डब्ल्यू0–9 फार्म में उल्लिखित क्लाज–(1) के अनुसार जमा करनी होगी। निविदा सवीकृति के उपरान्त निर्धारित अवधि में ठेकेदार को अनुबन्ध गठित कराना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुये, जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जिस हेतु कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
23. अनुबन्ध गठन के समय प्रभावी नवीनतम शासनादेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
24. यदि निर्माण कार्य की जांच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है तो इसके लिये ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसके विरूद्ध रोपित पेनाल्टी की वसूली नियमानुसार फर्म से की जायेगी ।
25. डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि भवन निर्माण कार्य हेतु पांच वर्ष एवं सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण तथा अन्य कार्यों हेतु दो वर्ष होगी। कार्य कुल लागत का एक प्रतिशत की वारन्टी धनराशि रोकी जाएगी, जो निर्धारित अवधि के पश्चात ही अवमुक्त की जाएगी।
26. ई–निविदा अपलोड करते समय चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र (टी–4, टी0–5, टी0–6) जो जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत हो, जो वित्तीय निविदा खुलने की तिथि के पश्चात तक वैध हो, लगाना होगा ।
27. निविदादाता/फर्म को वांछित कार्य के अन्तर्गत पिछले 07 वित्तीय वर्षों में समान प्रकृति के निम्नलिखित तीन विकल्पों में से किसी एक विकल्प के अनुसार (अ, ब, स में से कोई एक को) पूर्ण किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है।
    अ. – निविदा की लागत का कम से कम 80 प्रतिशत के समतुल्य का एक कार्य।
    ब. – निविदा की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत के समतुल्य के दो कार्य।
    स. – निविदा की लागत का कम से कम 40 प्रतिशत के समतुल्य के तीन कार्य।
28. शासनादेश सं0–1345/86–2019 दिनांक 15.07.2019 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को स्थल पर लायी गयी सामग्री का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (E-MM-11) प्रस्तुत करना होगा तथा आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अनिवार्यरूप से प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा शासनादेश के अनुसार नियमानुसार रायल्टी की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से वसूली नियमानुसार की जायेगी।
29. निविदादाता द्वारा कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक मशीनरी के स्व–स्वामित्व/अनुबन्धित होने सम्बन्धी प्रपत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
30. निर्माण स्थल पर श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।
31. निर्माण के दौरान जनसामान्य के सुगम एवं सुरक्षित यातायात आवागमन हेतु साईन बोर्ड लगाना एवं यातायात डायवर्जन हेतु अस्थायी व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा, जिस हेतु अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
32. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान, वर्षा या अन्य दैवीय आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। कार्यस्थल पर फर्म को सुरक्षा मानकों का पूर्णतया अनुपालन कराना होगा। कार्यस्थल पर किसी कारणवश, हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं ही जिम्मेदार होगी। इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी ।
33. कार्यों को निर्धारित समय के अन्तर्गत कार्य की प्राथमिकता के अनुसार चरणवार इस प्रकार सम्पादित कराना होगा कि स्थल पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो एवं सभी कार्य सुगमतापूर्वक, समयबद्ध/गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सकें।
34. अन्य नियम व शर्तें निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड के अनुसार होगी ।
35. जी0पी0डब्ल्यू0–9 फार्म में प्राविधानित नियम व शर्तें अनुबन्ध में लागू रहेंगी ।
36. उ०प्र० शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित दिये गये निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा ।
37. किसी प्रकार के सर्वर आदि के आकस्मिक रूप से विलम्बित होने अथवा सर्वर त्रुटि होने के कारण बिड डाउनलोड /अपलोड करना अथवा परिषद खाते में धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।

(राहुल यादव)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0 1289 / W-13 / 35 दिनांक– 05-8-2025

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. इंचार्ज,कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को निविदा सूचना परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
5. नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता